प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, नगरपारा, भागलपुर

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

महाविद्यालय के कृषि योग्य भूमि की बन्दोबस्ती संबंधी सूचना सं0 01/2026–27 से संबंधित नियम व शर्त्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, नगरपारा, भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2026–27 में महाविद्यालय के स्वामित्वाधीन लगभग 95 एकड़ कृषि–योग्य भूमि का कृषि–कार्य हेतु बन्दोबस्ती कराया जाना है। कृषि योग्य भूमि का विवरण निम्नवत है :–

कृषि योग्य भूमि की विवरणी

क्र0	मौजा का नाम	खाता सं0	कार्यालयी अभिलेख के आधार पर कृषि योग्य भूमि का रकवा (एकड़ में)
1	नगरपारा	2822 से 2830	48.75
2	जयपुर चुहर	1497 से 1498	15.
3	बैनाडीह	296 से 297	30.18
	कुल		94.33

अतः एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं सभी हितबद्धों को सूचित किया जाता है कि बन्दोबस्ती (डाक) कार्य में भाग लेने वाले इच्छुक एवं योग्य व्यक्ति निम्नांकित निर्धारित तिथि एवं समय को अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होंगे। बन्दोबस्ती की प्रक्रिया पूर्व अभिलेख को दृष्टि में रखते हुए एवं उच्चतम बोली के आधार पर पूरी की जायेगी।

बन्दोबस्ती (डाक) कार्य में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिये निम्नवत शर्त्तें (दिशा निदेश) रहेगी :–

01. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना आवेदन निर्धारित विहित प्रपत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (अपने आवासीय पते के थाने से निर्गत) की सत्यापित प्रति दिनांक 15.06.2026 तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।
02. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को अग्रधन राशि के रूप में बन्दोबस्ती की निर्धारित न्यूनतम राशि का 10 प्रतिशत यथा 70,100/– (सत्तर हजार एक सौ) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं PRINCIPAL PTEC NAGARPARA, BHAGALPUR के पक्ष में देय हो तथा भागलपुर में भुगतेय हो, आवेदन के साथ समर्पित करना होगा।
03. डाक उच्चतम बोली के आधार पर उच्चतम डाक बोली वाले को दी जायेगी एवं शेष डाक में भाग लेने वालों को अग्रधन राशि से संबंधित बैंक ड्राफ्ट वापस कर दी जाएगी।
04. उच्चतम बोली के आधार पर प्राप्त डाकवक्ता को डाक की निर्धारित राशि, डाक की तिथि से 07 दिनों के अंदर महाविद्यालय के बैंक खाते में चालान के माध्यम से जमा करनी होगी, तभी उन्हें भूमि उपयोग से संबंधित कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा। यदि निर्धारित तिथि तक डाक की राशि जमा नहीं की जाती है तो उक्त डाकवक्ता को भविष्य में महाविद्यालय के किसी भी डाक में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा, तथा उसके बाद के न्यूनतम बोली वाले डाकवक्ता को राशि जमा करने हेतु पत्र निर्गत की जा सकती है।
05. निर्धारित तिथि तक कंडिका (01) एवं (02) में वर्णित कागजात जमा नहीं करने वालों को डाक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
06. **कृषि योग्य भूमि की विवरणी** में अंकित भूमि कार्यालयी अभिलेख के आधार पर है, अतः वास्तविक कृषि योग्य भूमि धट या बढ़ सकती है।
07. महाविद्यालय के कृषि योग्य भूमि की विवरणी यथा खाता, खेसरा, रकवा आदि की विस्तृत जानकारी महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क कर एवं सूचना पट्ट से प्राप्त किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

08. कृषि योग्य भूमि की बंदोबस्ती **"जैसा भी जिस भी हालत में है"** के आधार पर की जाएगी। अतः सलाह दी जाती है कि डाक में भाग लेने के पूर्व वास्तविक भूमि का अवलोकन एवं मुआयना कर लें। डाक के बाद उक्त के संबंध में किसी भी दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

09. डाक में लिये भूमि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026–27 यानी दिनांक 31 मार्च 2027 तक ही मान्य होगा। उक्त अवधि के बाद भूमि का उपयोग करने अथवा कृषि के अलावे अन्य कार्य में उपयोग किये जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बाध्यता होगी।

10. भविष्य में इस संबंध में कोई भी विभागीय आदेश आता है तो बिना कोई पूर्व सूचना के भूमि वापस ली जा सकती है, अथवा विहित शर्त्तों में परिवर्त्तन/रद्दीकरण का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 1000/– (एक हजार) रू0 के Non judicial stamp- paper पर एकरारनामा समर्पित करने के उपरान्त ही बंदोबस्ती में लिये गये भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिये किया जा सकेगा।

12. डाक हेतु निर्धारित प्रथम तिथि दिनांक 17.06.2026 है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं हो पाता है तो दिनांक 19.06.2026 को होगा, यदि उक्त दोनो तिथियों को डाक नहीं हो पाता है तो दिनांक 23.06.2026 को होगा।

23/5/26

(डॉ0 दीपक कुमार)
प्रभारी प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
नगरपारा, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner